झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
अष्टम् (बजट) सत्र
वर्ग– 02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगल, दिनांक– 01 चैत, 1944 (श0) / 22 मार्च, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
594–	शि– 62	श्री बंधु तिर्की	अल्प संख्यक का दर्जा देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.03.2022
595–	शि– 49	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	JTET में प्राथमिकता देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	03.03.2022
596–	शि– 21	श्री मनीष जायसवाल	विद्यालय उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23.02.2022
597–	शि– 46	डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता	निर्माण कार्य पूर्ण करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01.03.2022
598–	टन– 37	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	खेल प्रतिमा को निखारना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	03.03.2022
599–	टन– 40	डॉ0 इरफान अंसारी	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	08.03.2022
600–	उ– 11	श्री बिरंची नारायण	स्थायी नौकरी देना।	उद्योग	08.03.2022
601–	उ– 12	श्री अमित कुमार यादव	फैक्ट्री चालु कराना।	उद्योग	10.03.2022

01.		02.	03.	04.	05.	06
602	शि–	41	श्री रामचन्द्र सिंह	शिक्षकों को स्थानांतरित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.02.2022
603	उ–	10	डॉ० लम्बोदर महतो	आवंटन रद्द करना।	उद्योग	07.03.2022
604	उ–	08	श्री अमित कुमार मंडल	एकरारनामा रद्द करना।	उद्योग	03.03.2022
605	उत–	10	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	नियमित करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	23.02.2022
606	टन–	31	श्री नारायण दास	पदाधिकारी/कर्मचारी का पदस्थापन।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	28.02.2022
607	उत–	17	श्री निरल पुरँती	निर्धारित वेतन का अनुमोदन।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	27.02.2022
608	शि–	25	श्री मंगल कालिंदी	आवासीय विद्यालय का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23.02.2022
609	उत–	13	श्री विनोद कुमार सिंह	पद सृजित करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.02.2022
610	टन–	39	श्री ढुलू महतो	पर्यटक स्थल घोषित करना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	07.03.2022
611	उत–	27	श्री कमलेश कुमार सिंह	निर्माण पूर्ण कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	10.03.2022
612	टन–	05	डॉ० इरफान अंसारी	पर्यटक स्थल विकसित करना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	23.02.2022
613	वन–	12	श्री अनन्त कुमार ओझा	आश्रयणी स्थल का संरक्षण।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	27.02.2022
614	उ–	07	श्री राजेश कच्छप	भूमि हस्तांतरित कराना।	उद्योग	03.03.2022
615	ख–	15	डॉ० लम्बोदर महतो	अव्यवहृत राशि की व्यय करना।	खान एवं भूतत्व	08.03.2022
616	टन–	38	श्री रामचन्द्र सिंह	किलों का जीर्णोद्धार करना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	03.03.2022

(कृ० पृ० उ०)

01.	02.	03.	04.	05.	06
617—	शि— 60	श्री कमलेश कुमार सिंह	विद्यालय भवनों की मरम्मति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.03.2022
618—	शि— 33	श्री समीर कुमार मोहंती	पुस्तकें उपलब्ध करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2022
619—	शि— 45	श्री अनन्त कुमार ओझा	विद्यालयों को उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	01.03.2022
620—	शि— 59	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	08.03.2022
621—	उ— 04	श्री बंधु तिर्की	कारीगरों को उपकरण देना।	उद्योग	23.02.2022
622—	शि— 58	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	मानदेय में वृद्धि करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	08.03.2022
623—	शि— 27	डॉ0 सरफराज अहमद	शिक्षकों की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23.02.2022
624—	टन— 41	श्री आलोक कुमार चौरसिया	पर्यटक स्थल को विकसीत करना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	15.03.2022
625—	शि— 61	श्री लोबिन हेम्ब्रम	प्रशिक्षित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.03.2022
626—	शि— 54	श्री अमित कुमार यादव	विद्यालयों को स्थापना अनुमति देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	08.03.2022
627—	वन— 16	डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता	बेरोजगारी दूर करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	07.03.2022
628—	शि— 63	श्री रामचन्द्र वंदवंशी	विद्यालय खोलना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	12.03.2022
629—	उ— 13	श्री रामरी लाल	इकाई चालु करना।	उद्योग	12.03.2022
630—	टन— 14	श्री बिरंची नारायण	प्रोन्नति देना।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	23.02.2022

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
631-	वन- 14	श्री मनीष जायसवाल	पेड़ों को रिप्लांट करना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	28.02.2022
632-	शि- 42	श्री राजेश कच्छप	एक्ट का अनुपालन करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27.02.2022

राँची,
दिनांक- 22 मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-झा0वि0स0 प्रश्न-03/2020-1394/वि0स0, रांची, दिनांक- 21/03/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22
(गुरूचरण सिंकू)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-झा0वि0स0 प्रश्न-03/2020-1394/वि0स0, रांची, दिनांक- 21/03/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-झा0वि0स0 प्रश्न-03/2020-1394/वि0स0, रांची, दिनांक- 21/03/22

प्रतिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा, वेवसाईट शाखा ऑनलाईन शाखा, जे0भी0एस0टी0भी0 शाखा, अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.22
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

सुभाष

21.03.22

594

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–62 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (*NCMEI*) भारत सरकार *NCMEI Act, 2004* के तहत् अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकार है;	स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (*NCMEI*) *Act, 2004* की धारा–10(1) एवं (2) तथा धारा–11(f) के अन्तर्गत सीधे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (*NCMEI*) के समक्ष अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जा सकता है, परन्तु उसके पूर्व राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग का ज्ञापांक–760 दिनांक 15.06.2015 (वर्त्तमान स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) ने पत्र जारी कर *NCMEI Act, 2004* की धारा–10 के तहत् अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र देने हेतु अपने निदेशालय का नोडल पदाधिकारी नामित किया है;	मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक–760 दिनांक–15.06.2015 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (*NCMEI*) *Act, 2004* की धारा–10 के अन्तर्गत संबंधित निदेशक को अपने निदेशालय के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार/नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (*NCMEI*) *Act, 2004* की धारा–10 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रावधान नहीं है। मात्र उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रावधान है, तद्नुसार मामले में विधि विभाग का सम्यक परामर्श एवं तद्नुरूप कार्रवाई अपेक्षित है।
3.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 28.07.2020 को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा पत्रांक–1945/ 2020 और 1946/2020 जारी कर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र की माँग कर *NCMEI Act, 2004* की अवहेलना की गई;	झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची के ज्ञापांक–1044/22 दिनांक–15.03.2022 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार झारखंड अधिविद्य परिषद् संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा 7.6 में उद्धृत किया गया है कि "राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्था या धर्म एवं भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक संस्था के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट (+2), माध्यमिक, मध्यमा (संस्कृत) तथा मदरसा संस्था के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए एक शासी निकाय/प्रबंध समिति का गठन परिषद् कर सकेगी"। *NCMEI Act, 2004* की धारा–10 के तहत् अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण–पत्र देने हेतु निदेशक (मा०शि०) एवं निदेशक (प्रा०शि०) को नामित किया गया है। अमानत अली इंटर कॉलेज, एदलहातु, बुण्डू द्वारा निदेशालय से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक दर्जा से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कराये जाने तक परिषद् पत्रांक–1945/2020 द्वारा अमानत अली

594

243
21/03/2022

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–62

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

		इंटर कॉलेज, एदलहातु, बुण्डू में महाविद्यालय के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए शासी निकाय का गठन किया गया है। परिषद् द्वारा निर्गत पत्रांक–1940/2020 द्वारा अमानत अली इंटर कॉलेज, एदलहातु, बुण्डू से राज्य सरकार से अल्पसंख्यक दर्जा से संबंधित प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (*NCMEI) Act, 2004* की धारा–10 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रावधान नहीं है। मात्र उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रावधान है, तद्नुसार मामले में विधि विभाग का सम्यक परामर्श एवं तद्नुरूप कार्रवाई अपेक्षित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अमानत अली इंटर कॉलेज, एदलहातु, बुन्डू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज, गोड्डा को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र दिनांक 25.06.2019, पत्रांक–1772 के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपरोक्त खंडो में सन्निहित है। अल्पसंख्यक दर्जा के निर्धारण एवं उससे संबंधित मामलों के संबंध में निर्गत दिशानिदेश के साथ संलग्न विवरण के अनुसार *National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992)* के प्रावधान के आलोक में प्राप्त आवेदन के आधार पर संगत राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार, जिनके समक्ष आवेदन किया गया हो, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकार है, परन्तु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (*NCMEI) Act, 2004* की धारा–10 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रावधान नहीं है। मात्र उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र आयोग द्वारा निर्गत किये जाने का प्रावधान है, तद्नुसार मामले में विधि विभाग का सम्यक परामर्श एवं तद्नुरूप कार्रवाई अपेक्षित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.02–243/2022 243 राँची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

595

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

510
14.3.22

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–49

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि JTET नियमावली में वर्तमान समय में संशोधनोपरांत झारखण्ड राज्य से मैट्रिक एवं इंटर पास अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता दी गई है।	वस्तुस्थिति यह है कि नियमावली के नियम–6 की कंडिका (ग) (i) तथा (ii) में निहित प्रावधान के तहत् सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10वीं एवं इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। परन्तु झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।
2	क्या यह बात सही है कि महागामा विधान सभा क्षेत्र बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है जहाँ के लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु भागलपुर एवं अन्य स्थानों में मैट्रिक एवं इंटर में नामांकन कराते हैं तथा वहीं के बच्चियों का शादी विवाह महागामा विधान सभा क्षेत्र में हमेशा से होते आयी है.	प्रश्नगत सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे लोगों को चिन्हित कर नैसर्गिक न्याय के तहत JTET में प्राथमिकता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ह०/–
14/3/22
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–14 / वि02–40 / 2022 – 510 राँची, दिनांक 14 / 03 / 2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–918, दिनांक 03.03.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
14/3/22
सरकार के अवर सचिव

596

741
21/03/2022

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–21
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत बड़ासी पंचायत में 05 एकड़ में फैली मध्य विद्यालय, जगदीशपुर अवस्थित है, जिस पंचायत की आबादी लगभग 08 हजार है तथा उक्त विद्यालय N.H-100 (हजारीबाग– बगोदर मार्ग) से छः कि०मी० अन्दर होने के साथ–साथ जंगल क्षेत्र है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित क्षेत्र के उच्च विद्यालय नहीं होने के कारण मध्य विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के बाद उक्त क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च विद्यालय में नामांकन हेतु दूर–दराज के क्षेत्रों में पढ़ाई करने को बाध्य होना पड़ता है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के विद्यार्थियों को अन्य उच्च विद्यालय आने–जाने में काफी कठिनाई के साथ–साथ खतरा भी रहती है,	उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगदीशपुर सदर के विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न विद्यालयों में जाना पड़ता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना सं0–2748 दिनांक 18.11.2008 द्वारा प्रत्येक 05 कि०मी० की परिधि तथा 5000 की आबादी पर एक माध्यमिक विद्यालय के उत्क्रमण की अनुशंसा हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित है, जिसके आलोक में निदेशालयीय पत्रांक–251 दिनांक– 05.02.2021 द्वारा प्रखण्ड स्तर पर अवस्थित सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्ध संख्या अनुरूप आवश्यकता का आकलन कर अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला को पत्र प्रेषित है। वर्त्तमान में मात्र 08 जिले से ही उत्क्रमण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें हजारीबाग जिले का तथा मध्य विद्यालय, जगदीशपुर के उत्क्रमण का प्रस्ताव प्राप्त है। शेष जिले को निदेशालयीय पत्रांक 1742 दिनांक 15.09.2021 एवं 632 दिनांक 12.03.2022 द्वारा स्मरित भी किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में अनुशंसा उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशालयीय आदेश सं. 624 दिनांक 11.03.2022 द्वारा समिति गठित की गयी है तथा 01 माह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेश दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।

21.03.22
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

झापांक–10/वि.स.02–175/2022 741 राँची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.03.22
सरकार के अवर सचिव।

निर्माण कार्य पूर्ण कराना ।

तारांकित

597. डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता--क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत मनातू प्रखण्ड के ग्राम पंचायत चक में स्तरोन्नत +2 उच्च विद्यालय संचालित है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय में लगभग 1800 बच्चे अध्ययनरत है, जिनके पठन-पाठन हेतु मात्र आठ कमरे जर्जर स्थिति में उपलब्ध है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष-2009 में उक्त विद्यालय के नए भवन निर्माण कार्य रेयाज कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया, जो आज तक पूर्ण नही हुआ है तथा निर्मित भवन विभाग को हस्तांतरित नही होने के कारण बच्चों को असुविधा होती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालय के भवन का गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूर्ण कराकर विद्यालय को सुपुर्द कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक संचालित है । विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या 1647 है ।

विद्यालय में कुल 10 कमरे उपलब्ध है । जो जर्जर स्थिति में नही है, जिसमें 8 कमरों में पठन-पाठन का कार्य कराया जाता है । प्रधानाध्यापक के लिए एक अतिरिक्त कमरा उपलब्ध है । विद्यालय में बालक-बालिकाओं के लिए शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध है ।

(3) स्वीकारात्मक ।

स्तरोन्नत +2 उच्च विद्यालय, प्रखण्ड मनातू के भवन निर्माण की स्वीकृति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई थी । भवन निर्माण का कार्य ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल मेदिनीनगर द्वारा कराया गया है । भवन पूर्ण नही है और विभाग को हस्तगत नही कराया गया है ।

(4) विद्यालय के कमरों में लघु मरम्मति की आवश्यकता है । विद्यालय को वित्तीय वर्ष-2020-21 में रु० 75000/- का विद्यालय विकास अनुदान उपलब्ध कराया गया है ।

उक्रमण के फलस्वरूप उच्च विद्यालय के भवन का निर्माण नही कराया गया है । भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु समग्र शिक्षा के आगामी वार्षिक कार्य योजना में भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा जायेगा । भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही भवन निर्माण का कार्य कराया जा सकेगा ।

598

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक– 22.03.2022 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–37 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण स्तर से लेकर प्रखण्ड स्तर व जिला स्तर तक खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सहाय योजना की शुरुआत की गयी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित योजना में गोड्डा जिला को भी जोड़ने अथवा गोड्डा जिला के खेल प्रतिभाओं के लिए कोई अन्य योजना लाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में यह योजना पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ, खूँटी, सिमडेगा एवं गुमला में कार्यान्वित की जा रही है। योजना के फलाफल के आधार पर कालान्तर में अन्य जिलों में क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–59/2022 481 / राँची, दिनांक 21.03.2022

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–909/वि०स०, दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव

599

डा० ईरफान अंसारी, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक– 22.03.2022 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–40 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री ईरफान अंसारी, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिला अंतर्गत मिहिजाम नगर पंचायत के राज्य संपोषित उच्च विद्यालय, मिहिजाम में खेलकूद हेतु स्टेडियम नहीं है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को खेलकूद में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप युवाओं का समुचित विकास नहीं हो पाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मिहिजाम में विभाग द्वारा स्टेडियम निर्मित नहीं है, परन्तु जामताड़ा में एक आउटडोर एवं एक इण्डोर स्टेडियम निर्मित है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मिहिजाम राज्य संपोषित उच्च विद्यालय में युवाओं के खेलकूद हेतु स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मिहिजाम में खेलकूद गतिविधियों एवं स्टेडियम निर्माण के आवश्यकता का आकलन कर बजट राशि की उपलब्धता के आधार पर स्टेडियम निर्माण पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–56/2022 482/ राँची, दिनांक 21-03-2022

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1104/वि०स०, दिनांक–08.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव

600

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–11

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो इस्पात संयंत्र में 1620 विस्थापित युवकों का अप्रेंटिसशिप कराने का निर्णय लिया है, जिसमें से आधे ने अप्रेंटिसशिप कर लिया है और कुछ अन्य अप्रेंटिसशिप करने की प्रतीक्षा में है;	आंशिक स्वीकारात्मक। BSL के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "वर्तमान में बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, चास की अध्यक्षता में हुई त्रिपक्षीय बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार 1500 विस्थापित परिवारों के सदस्यों को अप्रेन्टिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण चरण बद्ध रूप में दिया जाना है। अबतक प्रथम चरण में 496 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, द्वितीय चरण में 387 अन्य को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें से 144 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण अब तक समाप्त हो चुका है और शेष बचे 243 प्रशिक्षु अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तृतीय चरण में अंतिम 615 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के बाद 572 अभ्यर्थी उपयुक्त पाये गए। ट्रेड आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके पश्चात इनका प्रशिक्षण जल्द ही शुरू कर दी जायेगी।"
2.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा इन युवकों के पुरखों की जमीन कौड़ी के भाव करीब 2–3 रूपये प्रति डिसमिल के मूल्य पर पूर्व में अधिग्रहण किया है;	अस्वीकारात्मक। विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माणार्थ विभिन्न ग्रामों में भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना वर्ष 1956 से 1962 तक की गई है। अधिग्रहण के समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भूमि मूल्य पर भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुरूप अधिग्रहण की गई है।"
3.	क्या यह बात सही है, कि इस कारण उक्त युवकों के पास अब न तो कृषि योग्य भूमि है और न ही अन्य कोई रोजगार–धंधा उन्हें उपलब्ध है;	इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान/प्रकाश में नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्राप्त विस्थापित युवकों को बोकारो इस्पात संयंत्र में ही स्थायी नौकरी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि तो कबतक, नहीं तो क्यों?	BSL के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "सेल/बोकारो इस्पात संयंत्र केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है। इसमें नियोजन कंपनी के निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। सेल/बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की स्पष्ट प्रक्रिया है, जिसमें सेल निगमित कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष मानव संसाधन योजना के तहत नियुक्तियों के लिए अनुमोदन दिया जाता है। तदुपरान्त नियुक्तियों को समाचार पत्र एवं इंटरनेट पर विज्ञप्ति किया जाता है। समाचार पत्रों एवं इंटरनेट पर विज्ञापन के आधार पर योग्य उम्मीदवार आवेदन करते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा पात्रता की जाँच, दक्षता जाँच, स्वास्थ्य जाँच आदि की प्रक्रिया होती है। नियोजन में सभी प्रकार के आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट में प्रशिक्षण के उपरान्त उसी संस्थान में नियोजन देने का कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त युवक अपने पात्रता के अनुसार उपरोक्त वर्णित नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।"

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–30/2022 351 /राँची, दिनांक– 21/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1107 दिनांक–08.03.2022 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/22

(नीरज कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

601

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–12

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर प्रखण्ड में गैडे आयरन स्टील कंपनी लि0, की स्थापना हेतु 345 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1958 में किया गया था, जिसमें 150 एकड़ जमीन पर ही फैक्ट्री प्लांट, स्टाफ क्वार्टर एवं अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाया गया, शेष करीब 200 एकड़ भूमि खाली पड़ी है, साथ ही यह फैक्ट्री विगत 15 वर्षों से पूर्णतः बंद है;	स्वीकारात्मक 80 एकड़ भूमि में फैक्ट्री स्थापित है तथा शेष भूमि खाली पड़ी है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त फैक्ट्री को पुनः चालू कराते हुए खाली पड़े 200 एकड़ भूमि रैयतों को वापस कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	माननीय न्यायालय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल कोलकाता (NCLT) के अंतर्गत Corporate Insolvency Resolution Process की कार्रवाई चल रही है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–31/2022 350 /राँची, दिनांक– 21/03/2022

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1193 दिनांक–10.03.2022 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/22.

(नीरज कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

602

742
21/03/2022

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–41

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूरे प्रदेश के +2 उच्च विद्यालय में कार्यरत PGT शिक्षक–शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण–पदस्थापन उनकी बहाली वर्ष 2012 के बाद आज तक नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2012 से आज की तिथि तक लगभग 67 (ज्ञापांक–2749 / 31.10.2019–09, ज्ञापांक–748 / 27.02.2019–07, ज्ञापांक–500 / 12.02.2019–06, ज्ञापांक–1944 / 23.10.2017–03, ज्ञापांक–558 / 31.03.2017–01, ज्ञापांक–1048 / 26.06.2015–37, ज्ञापांक–1887 / 27.09.2016–01, ज्ञापांक–1790 / 15.06.2016–01 एवं ज्ञापांक–1602 / 16.08.2016–02) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक / शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण पदस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 एवं 2020 में किये गये 239 (ज्ञापांक–760 / 30.04.2020–05, ज्ञापांक–2027 / 29.07.2019–175 एवं ज्ञापांक–2052 / 31.07.2019–59) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक / शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण पदस्थापन किया गया था, जिसे रद्द किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित शिक्षक, जो सुदूर क्षेत्र में थे, आज भी सुदूर क्षेत्र में हैं, जो शहर में थे वे आज भी शहर में हैं, विशेष परिस्थिति में भी इनका स्थानान्तरण– पदस्थापन नहीं किया गया;	+2 उच्च विद्यालय के कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्त्त नियमावली, 2012 एवं प्रारम्भिक से +2 तक के शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति, 2019 में संशोधन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति, 2019 में प्रस्तावित संशोधन में विशेष परिस्थिति से जुड़े मामलों के संबंध में भी प्रावधान किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित शिक्षक– शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण–पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।

21-03-22

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.02–204 / 2022 742 रॉंची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21-03-22

सरकार के अवर सचिव।

603

डॉ० लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–10

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अन्तर्गत अब तक 500 (पाँच सौ) लघु उद्योग इकाईयों को प्लॉट आवंटित किया गया है, जिसमें 100 से अधिक डमी उद्यमियों के द्वारा प्लॉट आवंटन के उपरांत अबतक उद्योग नहीं लगाया गया है ;	जियाडा, बोकारो प्रक्षेत्र के अन्तर्गत अब तक कुल 650 सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत उद्योग इकाईयों को विधिवत प्लॉट आवंटित किया गया है। प्राधिकार द्वारा वर्त्तमान में 55 बंद इकाईयों का आवंटन जियाडा रेगुलेशन 2016 के आलोक में नियमानुसार रद्द किया गया है एवं शेष बंद इकाईयों को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया है जिनपर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है, कि केवल बोकारो क्षेत्र में 50 से अधिक प्लॉट प्रभावशाली लोगों के द्वारा आवंटित करा कर केवल खरीद–बिक्री का कार्य किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध प्लॉट आवंटन की निगरानी से जाँच कर प्लॉट आवंटन रद्द करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	अवैध प्लॉट आवंटन का कोई मामला संज्ञान में नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–29/2022 349 /राँची, दिनांक– 20/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1055 दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/22
(नीरज कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

604

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–08

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिले के पौड़ैयाहाट प्रखण्ड अन्तर्गत सरकार ने संथाल परगना औद्योगिक विकास प्राधिकार, चामुडीह, मौजा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है;	स्वीकारात्मक गोड्डा जिले के अन्तर्गत अंचल–पौड़ैयाहाट के मौजा–चामुडीह में कुल–60.41 एकड़ भूमि झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, संथाल परगना प्रक्षेत्र, देवघर को सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु हस्तांतरित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–एक में वर्णित औद्योगिक केन्द्र में 29 उद्यमियों को कुल 60.41 एकड़ भूमि वर्ष 2017–18 में इस शर्त के साथ भूमि आवंटित किया गया था, कि एक से दो वर्ष के अंदर अपना उद्योग स्थापित करेंगे, परन्तु एक उद्यमी को छोड़ बाकी किसी ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है;	आंशिक स्वीकारात्मक औद्योगिक क्षेत्र चामुडीह, पौड़ैयाहाट, गोड्डा में कुल 17 उद्यमियों को 19 प्लॉट, कुल रकबा 40.10 एकड़ भूमि का आवंटन, दो वर्ष के अंदर अपना उद्योग स्थापित करेंगे, की शर्त पर उद्योग स्थापना हेतु किया गया है। इनमें से 11 उद्यमियों को आवंटित 12 प्लॉटों के कुल रकबा 29.60 एकड़ भूमि पहाड़ के रूप में है। 04 उद्यमियों को आवंटित 04 प्लॉट जिसपर उद्यमियों द्वारा किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है को प्राधिकार द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। जल्द ही इसपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शेष 02 उद्यमियों को आवंटित 03 प्लॉट पर उद्योग स्थापना हेतु कार्य किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप शेष सभी उद्यमियों का एकरारनामा रद्द करते हुए नये सिरे से विज्ञापन निकाल कर नये उद्यमियों को अवसर देना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित 11 उद्यमियों को आवंटित कुल 12 प्लॉटों के कुल रकबा 25.50 एकड़ भूमि जो पहाड़ के रूप में है, को उपयुक्त, गोड्डा को वापस करने तथा संबंधित उद्यमियों को Processing Fee वापस कर उन्हें पुनः Online भूमि आवंटन करने का परामर्श जियाडा द्वारा एसपीयाडा को दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में पुनः एसपीयाडा द्वारा सचिव, जियाडा, रांची से मार्गदर्शन की माग की गई है कि उक्त उद्यमियों द्वारा Processing Fee के साथ भूमि मूल्य के किस्त की राशि की भी भुगतान की गई है, जिसे भी वापस करना है एवं इन्हें नई भूमि का आवंटन कहां किया जाना है, क्योंकि उक्त औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु शेष उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–19/2022 346 /रांची, दिनांक– 20/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप संख्या–922 दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नीरज कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(605)

पंचम झारखण्ड विधान सभा का अष्टम (बजट) सत्र में दिनांक 22.03.2022 को श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० उत–10 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पालिटेकनिक /राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में संविदा के आधार पर तकनीकी/गैर तकनीकी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1532, दिनांक 20.07.2017 प्रकाशित किया गया था,	– स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित संकल्प के प्रकाशन के पश्चात बी०आई०टी० सिन्दरी में शिक्षकों के रिक्त पदों पर कैम्पस सेलेक्शन के माध्यम से मेधा आधारित अभ्यर्थियों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त विभागीय स्तर पर राज्य में लागू आरक्षण प्रावधान/आरक्षण रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों को कोटिवार एवं संकायवार रिक्त पदों पर संविदास के आधार पर समायोजित किये जाने पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त किया गया था,	– आंशिक स्वीकारात्मक। Campus Selection के माध्यम से मेधा आधारित अभ्यर्थियों को राज्य में लागू आरक्षण रोस्टर के अनुसार संविदा पर नियुक्ति किये जाने पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है। संविदा के आधार पर नियुक्त के समायोजन के लिए कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित संकल्प के आलोक में बी०आई०टी० सिन्दरी में नियुक्त किये जाने वाले 20 उम्मीदवारों को दिनांक 10.03.2018 तक संस्थान में योगदान देने हेतु निदेशक बी०आई०टी० सिन्दरी के कार्यालय आदेश ज्ञाप सं०–191, दिनांक 22.02.2018 द्वारा निर्गत किया गया था,	– स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित संकल्प के आलोक में बी०आई०टी० सिन्दरी में रिक्त पदों के विरूद्ध कैम्पस सेलेक्शन के माध्यम से चयनित संविदा पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों का समानियोजन/नियमितीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ?	– बी०आई०टी० सिन्दरी में सहायक प्राध्यापक के 84 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को भेजी गयी थी जिसमें 36 पदों हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई थी जिसके आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण हो गयी है। शेष अधियाचित 48 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई आयोग स्तर पर प्रक्रियाधीन है। Campus Selection के माध्यम से संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (दोनो में से जो पहले हो) के शर्त के साथ अवधि विस्तार दिया गया है। वर्त्तमान में Campus Selection के माध्यम से संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, योजना भवन, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0/वि0स0–07/2022 260 /राँची, दिनांक– 04.03.2022

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 210 दिनांक 23.02.2022 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/3/2022

(सरकार के अवर–सचिव)

(606)

श्री नारायण दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–31 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि बाबा वैद्यनाथधाम, देवघर विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल है तथा यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुँचते हैं और सरकार ने जिसे सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दे रखा है?	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** राज्य सरकार द्वारा देवघर को सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा नहीं दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला मुख्यालय में अवस्थित पर्यटक सूचना केन्द्र (Tourist Information Center) में सृजित पद के विरूद्ध पदाधिकारियों व कर्मचारियों के पदस्थापन के अभाव में यहाँ आने वाले पर्यटकों को भारी कठिनाई होती है साथ ही इस पर्यटक केन्द्र में आने वाले श्रद्धालुओं का कोई लेखा–जोखा नहीं रखा जाता है?	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** पर्यटक सूचना केन्द्र द्वारा पर्यटक आंकड़ा संग्रहित नहीं किया जाता है। पर्यटकों को जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पर्यटक सूचना केन्द्र बाबा मंदिर देवघर, जसीडीह स्टेशन व अंतर्राज्यीय सड़क मार्ग से आने वाले जिला के प्रवेश स्थल पर स्थापित नहीं है, जिससे श्रद्धालुओं को कठिनाईयाँ होती है?	3.	**स्वीकारात्मक** देवघर मे होटल नटराज विहार के परिसर में, जो बाबा वैद्यनाथधाम मंदिर से लगभग 01 (एक) कि०मी० दूर है, में पर्यटक सूचना केन्द्र संचालित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है,तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल में आने वाले पर्यटक की सुविधा के लिए खण्ड–3 में वर्णित स्थलों पर पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित कर तथा सृजित पद के विरूद्ध पदाधिकारियों व कर्मचारियों का अविलम्ब पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	वर्तमान में पर्यटन संवर्ग के सभी पद रिक्त है। झारखण्ड पर्यटन संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है। इस नियमवली के गठन के पश्चात पर्यटन संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा पदस्थापन की कार्रवाई की जा सकती है। नियुक्ति के पश्चात खण्ड 3 में वर्णित स्थलों पर पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित करना उक्त स्थलों पर भूमि उपलब्धता व बजट उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/50/2022 480 /राँची, दिनांक 21.03.2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–735/वि०स०, दिनांक–28/02/2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव

(607)

श्री निरल पुरती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या- उत-17 से संबंधित उत्तरः-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विश्वविद्यालय स्वायतशासी संस्थान है।	आंशिक स्वीकारात्मक। विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायतशासी संस्थान है।
2.	क्या यह बात सही है कि महामहिम सह कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक-25/84, 3965 दिनांक-20.12.1986 के द्वारा विभिन्न स्थाई समितियों का गठन किया गया है तथा उक्त परिनियम में महामहिम ने निदेशित किया है कि ये स्थायी समितियाँ ही संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय लेगी जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन सुनिश्चित करेगा ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विश्वविद्यालय परिनियम में स्थायी समितियों के उल्लेख के साथ विश्वविद्यालय अधिनियम में राज्य सरकार के अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लेख है। उदाहरण के तौर पर स्थायी समिति में प्रथम "सम्बद्धता एवं नव पाठ्यक्रम समिति की अनुशंसा के पश्चात् विश्वविद्यालय से विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-4(19) के तहत् विश्वविद्यालयों को सम्बद्धता देने के पूर्व राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
3.	क्या यह बात सही है कि परिनियम की कंडिका-2(d) के तहत् गठित् समिति द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए किये गये वेतन निर्धारण पर राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु संचिका वर्षों से लंबित है ;	अस्वीकारात्मक। विश्वविद्यालय से नियमानुकूल प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार वेतन निर्धारण प्रस्तावों पर सहमति प्रदान करती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विश्वविद्यालय से वेतन निर्धारण संबंधी नियमानुकूल प्रस्तावों पर राज्य सरकार सहमति करती है। विश्वविद्यालय के अधिकांश कर्मचारियों का 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण भी हो चुका है और वे इसका वित्तीय लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- 01/वि०स०-17/2022 356, राँची, दिनांक- 16/03/2022

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-673, दिनांक-27.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/22

(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(608)

504
14.3.22

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री मंगल कालिन्दी, मा०स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–25

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि जुगसलाई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बोड़ाम प्रखण्ड के कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। बोड़ाम प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित नहीं है । इस प्रखण्ड में राज्य योजनान्तर्गत झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि. द्वारा कराया जा रहा है । कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने अपने पत्रांक 436(नि.) द्वारा सूचित किया गया है कि निर्माण कार्य पूर्व में बन्द था। वर्तमान में कार्य प्रारंभ कराया गया है । संवेदक ने अपने पत्रांक HCC/79/2021–22 दिनांक 23.02.2022 द्वारा अर्न्तर्द सितम्बर 2022 तक कार्य पूर्ण करने का Undertaking समर्पित किया गया है । संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने में किए जा रहे अनावश्यक विलंब के कारण उन्हें कार्य पूर्ण करने तक निगम के पत्रांक 49 दिनांक 06.01.2022 द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया। दण्डस्वरूप उनके चालू विपत्र से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती कर भुगतान किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि बोड़ाम प्रखण्ड के बच्चों को विद्यालय का निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय, सुन्दरनगर में शिक्षा ग्रहण करना पड़ रहा है,	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोड़ाम में अवस्थित उक्त अधूरे पड़े कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बोड़ाम प्रखण्ड के झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय जिसका निर्माण झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है, के द्वारा विद्यालय निर्माण का कार्य सितम्बर, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने के संबंध में Undertaking दिया गया है।

(हस्ताक्षर) 14/3/22
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–14 / व02–19 / 2022 - 509 राँची, दिनांक 14 / 3 / 2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–205, दिनांक 23.03.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/3/22
सरकार के अवर सचिव

(609)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-13 से संबंधित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मॉडल महाविद्यालय, गिरिडीह (बिरनी) में इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, जीव विज्ञान विषय का पद सृजन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक ।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीण छात्रों के सुविधा हेतु उक्त विषयों का पद सृजन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से जरूरत के अनुरूप पद सृजन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत पद सृजन की अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- 01/वि०स०-19/2022 354 रांची, दिनांक- 16/03/2022

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-577, दिनांक-25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/22
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(610)

श्री दुलु महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–39 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है, कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में झिमी पहाड़ी में 500 वर्ष पुराना बुढ़ा मंदिर स्थापित है, जो कि शिव मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है?	1.	आंशिक स्वीकारात्मक मंदिर कितना पुराना है इस संदर्भ में कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस सैकड़ों वर्ष पुराने सिर्फ चट्टान से निर्मित मंदिर के दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आते है?	2.	आंशिक स्वीकारात्मक पर्यटकों की संख्या के संबंध में डाटा उपलब्ध नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस मंदिर में आने वाले पर्यटकों के सुविधा के लिए कोई भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं किए जाने के कारण आम जनता को काफी परेशानी हो रही है?	3.	आंशिक स्वीकारात्मक मंदिर तक जाने हेतु पहुँच पथ उपलब्ध है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित बुढ़ा मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित करते हुए नागरिक सुविधा सम्पर्क पथ आदि की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 424, दिनांक 11.03.2022 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन समिति के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, धनबाद को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/55/2022 478 /राँची, दिनांक 21.03.2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1054/वि०स०, दिनांक–07/03/2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

611

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-27 से संबंधित उत्तर-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत 15 करोड़ 76 लाख रूपए की लागत से डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद के भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2018 में दी गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद का भवन मार्च, 2021 में पूर्ण कर लिया जाना था, परन्तु भवन का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। भवन का निर्माण कार्य 80% पूर्ण हुआ है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद का भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराकर यथाशीघ्र पठन-पाठन कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों??	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को विभागीय पत्रांक-495/बजट दिनांक-16.03.2022 द्वारा डिग्री महाविद्यालय, हुसैनाबाद का भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण होकर हस्तांतरण के पश्चात् वहाँ पठन-पाठन की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(शिक्षा निदेशालयउच्च)

ज्ञापांक- 01/**वि०स०-34/2022** 353 राँची, दिनांक- 16/03/2022

प्रतिलिपि:-उप सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-10.03.2022 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16/03/22

(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(412)

डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–05 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत बसंतराय प्रखंड के शोहरारी पहाड़ में शह सगुना बाबा का मजार है, जहां सभी धर्मों के श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं?	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया गया है, इसके बावजूद भी इस स्थान में पर्यटक के लिए विकास का कार्य नहीं हुआ है तथा इस पहाड़ को पत्थर माफियाओं द्वारा खनन कर इसके सौंदर्य को बर्बाद किया जा रहा है?	2.	अस्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 425, दिनांक 11.03.2022 द्वारा उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन समिति के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, गोड्डा को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/41/2022 483 /राँची, दिनांक 21.03.2022

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–245/वि०स०, दिनांक–23/02/2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव

613

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–12 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के उधवा एवं राजमहल प्रखण्ड में अवस्थित पतौड़ा झील (क्षेत्रफल–155 हेक्टेयर) तथा ब्रहम जमालपुर झील (बड़ेल झील क्षेत्रफल–410 हेक्टेयर) में अवस्थित है, जो वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के तहत् अधिसूचित क्षेत्र है, जो विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य साईबेरियन पक्षी की आश्रयणी तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल (क्षेत्रफल–565 हेक्टेयर) का सीमांकन कर सुरक्षित रखने हेतु उपाय किये गये है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। उधवा पक्षी आश्रयणी क्षेत्र का आंशिक सीमांकन हुआ है। अभी तक 200 RCC पीलर का निर्माण हो चुका है। अभी 1000 पीलर का निर्माण किया जाना है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र में स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण किया जाता रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन का खतरा उत्पन्न हो गया है,	उधवा पक्षी आश्रयणी के पतौड़ा झील का सर्वे संबंधित अंचल के साथ मिलकर पूरा किया जा चुका है। सर्वेक्षण के क्रम में कुछ स्थलो पर अस्थायी अतिक्रमण पाये गये थे। अस्थायी अतिक्रमण में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कुल चार अपराधिक मामले दर्ज किये गये है एवं स्थल को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। वर्तमान में पतौड़ा झील अतिक्रमण से मुक्त है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित अधिसूचित क्षेत्र का सीमांकन सर्वे कर आश्रयणी स्थल को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उधवा पक्षी आश्रयणी के अधिसूचित क्षेत्र के सीमांकन के लिए अबतक कुल–200 RCC पीलर का निर्माण किया जा चुका है। शेष क्षेत्र के सीमांकन के लिए अवशेष पीलर निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2022–23 में करने की योजना है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–16/2022– 874 व0प0, दिनांक– 21/03/2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–680, दिनांक–27.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/22

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhansabha-32 (Mukesh)

614

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–07

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि BSIDC Ltd. की EEF का Factory Shed वर्षों से बंद पड़ा है तथा Shed की दक्षिण दिशा में टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशन के UP & down के मध्य 10 एकड़ भूमि 1962 में अधिग्रहण के बाद से ही परती पड़ा है;	स्वीकारात्मक। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) के आस्तियों एवं दायित्वों (Assets & Liblities) का बंटवारा बिहार एवं झारखण्ड सरकार के बीच लंबित है। वर्त्तमान में यह मामला माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित भूमि एवं Shed भारतीय रेल को हस्तांतरित करने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित शेड एवं भूमि को भारतीय रेल को हस्तांतरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–24 / 2022 348 /राँची, दिनांक– 22/03/2022

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–923 दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/22.
(नीरज कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

615

(डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स0–15

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में D.M.F.T योजना के तहत 7500 करोड़ रू0 से ज्यादा अव्यवहृत राशि जिलों में पड़ी हुई है तथा इस राशि के विरूद्ध योजनाओं की स्वीकृति नहीं हो रही है, राज्य सरकार राशि व्यय करने को लेकर गंभीर नहीं है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड में अबतक DMFT कोष में लगभग 8133.27 करोड़ रूपये की संग्रहित राशि में से DMFT Rules, 2016 एवं PMKKKY गाईडलाईन के अनुरूप 5610.59 करोड़ रूपये की जन कल्याणकारी योजना स्वीकृत करने की सूचना है। उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध 4099.02 करोड़ रूपये व्यय की गयी है (अनुलग्नक–1)।
2	क्या यह बात सही है बोकारो जिले में भी करोड़ों रूपये की राशि अव्यवहृत पड़ी हुई है तथा इस राशि के विरूद्ध योजनाओं की स्वीकृति नहीं हो रही है। योजना स्वीकृति में खनन क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। DMFT Rules, 2016 एवं PMKKKY गाईडलाईन के अनुरूप उपयोगी योजनाओं का चयन कर जिला स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बोकारो जिला अन्तर्गत दिनांक 28.02.2022 तक कुल 199.81 (एक सौ निन्यानबे करोड़ इक्यासी लाख) रूपये मात्र राशि उपलब्ध है (182.19 करोड़ रू० + 17.62 करोड़ रू० सूद) बोकारो जिलान्तर्गत अबतक DMFT Rules, 2016 एवं PMKKKY गाईडलाईन के अनुरूप 685.51 करोड़ रूपये की जन कल्याणकारी योजना स्वीकृत करने की सूचना है। उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध 547.21 करोड़ रूपये व्यय की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अव्यवहृत राशि व्यय करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(ता0)–37 / 2022 633 /एम0, राँची, दिनांक:– 24/03/2022

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1102 दिनांक–08.03.2022 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/3/2022

सरकार के उप सचिव

(616)

श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक– 22.03.2022 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–38 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री रामचन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अंतर्गत पलामू किला एवं नावागढ़ का मुर्गीडीह किला तथा पलामू जिला के चैनपुर थाना अंतर्गत शाहपुर किला जो देश का पौराणिक धरोहर है, वर्त्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित किलों का पुरातत्व विभाग द्वारा जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पुरातात्विक संरक्षण का कार्य अत्यन्त तकनीकी किस्म का है। इस कार्य के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से विभाग सम्पर्क में है तथा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के दिए गए मागदर्शन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–59/2022 484 / राँची, दिनांक 21.03.2022

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–905/वि०स०, दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव

617

744
21/03/2022

श्री कमलेश कुमार सिंह, माoसoविoसo से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–60

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधान सभा में अवस्थित बालिका +2 उच्च विद्यालय, हुसैनाबाद, सीता +2 उच्च विद्यालय, हरिहरगंज, धरमानी +2 उच्च विद्यालय, पिपरा, राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, हैदरनगर, रहमानियों +2 उच्च विद्यालय, तारा तथा बख्शी उच्च विद्यालय, हुसैनाबाद सहित 34 उच्च विद्यालय भवनों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण हो गई है तथा जो भी भवन उपलब्ध है, वह छात्रों के अनुपात में पर्याप्त नहीं है, फलस्वरूप पठन–पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत निम्नलिखित +2 विद्यालय तथा उच्च विद्यालय अवस्थित है:– क) +2 उच्च विद्यालय– 1. बालिका +2 उच्च विद्यालय, हुसैनाबाद, 2. सीता+2 उच्च विद्यालय, हरिहरगंज, 3. धनमनी +2 उच्च विद्यालय, पिपरा, 4. राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, हैदरनगर, 5. रहमानियाँ +2 उच्च विद्यालय, तारा एवं 6. बख्शी उच्च विद्यालय हुसैनाबाद में वर्ग 9 एवं 10 संचालित है । वर्ग 11 एवं 12 में नामांकन शून्य है । ख) उच्च विद्यालयों की सं. 34 है। सभी +2 उच्च विद्यालय एवं उच्च विद्यालय भवनों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण नहीं है तथा छात्र संख्या एवं कमरों की स्थिति निम्नवत् है:–

क्र0	विद्यालय का नाम	यू–डायस कोड	प्रतिवेदित छात्र संख्या	एस.डी. एम.आई. एस नामांकन	विद्यालय में उपलब्ध कमरों की संख्या				छात्र–वर्गकक्ष अनुपात
					अच्छी	जीर्ण–शीर्ण	मरम्मति योग्य	स्वीकृत एवं निर्माणाधीन	
1	RAJKIYEKRIT GIRLS HIGH SCHOOL HARIHARGANJ	20020200204	1013	984	14	6	6	10	72
2	RAJKIYEKRIT +2 SITA HIGH SCHOOL HARIHARGANJ	20020200216	2718	2395	29	0	6	0	94
3	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL KATAIYA	20020200401	543	500	15	0	0	0	36
4	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL KHARAGPUR	20020200501	1052	906	15	0	0	0	70
5	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL SARSOT	20020200801	718	703	11	0	0	0	65
6	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL TENDUWA	20020201101	507	461	9	3	4	0	56
7	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL KOTHILA	20020203101	456	415	14	0	0	0	33
8	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL SULTANI	20020204801	342	346	14	0	0	0	24
9	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL KOKARO	20020205601	655	505	11	9	0	0	60
10	UPG HIGH SCHOOL TETRIYA TOLA GIDDHI	20020206801	178	95	5	0	0	0	36
11	PROJECT HARIHAR SINGH HIGH SCHOOL BAREPUR BARAIN	20020401203	295	294	7	0	12	0	42
12	RAJKIYEKRIT BAKSI HIGH SCHOOL HUSSAINABAD	20020401310	1165	1151	16	0	5	0	73
13	RAJKIYEKRIT +2 GIRL HIGH SCHOOL HUSSAINABAD	20020401314	4075	3781	21	0	18	10	194
14	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL KAMGARPUR	20020401401	912	895	12	0	14	0	76
15	RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL POLDIH	20020403407	1033	671	9	0	0	0	115
16	RAJKIYEKRIT HARVE SONBHEU HIGH SCHOOL CEMENT WORKS JAPLA	20020404105	482	244	12	0	22	0	40

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–60

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

		17	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL MALWARIA	20020404801	556	428	9	0	9	0	62
		18	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL SANDA	20020407001	825	827	15	0	15	0	55
		19	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL BENI KHURD	20020407402	235	254	5	0	6	0	47
		20	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL MAHUDAND	20020412101	540	532	14	0	14	0	39
		21	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL VISHNUPUR	20020709801	275	241	8	2	0	0	34
		22	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL DAGRA	20020711801	588	433	11	0	2	0	53
		23	RAJKIYEKRIT SRI SHYAM BIHARI SINGH +2 HIGH SCHOOL BAMUDAG	20020712003	1423	1396	15	0	3	0	95
		24	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL KUNKUH	20020714301	721	623	11	0	3	0	66
		25	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL GULABIHARI	20020715205	319	314	15	6	0	0	21
		26	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL NAWDIHA BAZAR	20020717502	590	592	15	0	0	0	39
		27	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL BABHANDI PIPRA	20021401101	777	801	13	0	4	0	60
		28	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL BARWADIH	20021401701	530	537	12	0	2	0	44
		29	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL PIPARA	20021402801	739	705	12	0	19	0	62
		30	PROJECT DHANMANI +2 HIGH SCHOOL PIPRA BARDAG	20021402804	1348	1065	11	5	0	0	123
		31	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL BISHRAMPUR PITHORA	20021405301	492	478	22	6	4	0	22
		32	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL PANTI	20021500701	631	360	17	0	2	0	37
		33	RAJKIYEKRIT +2 HIGH SCHOOL HAIDARNAGAR	20021501401	3603	3788	16	0	16	17	225
		34	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL PARTA	20021503401	311	315	9	0	11	0	35
		35	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL PATARIYA	20021505401	684	757	9	0	8	0	76
		36	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL KUKHI	20021505802	819	904	10	2	4	0	82
		37	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL MOHAMMADGANJ	20021601801	1436	1484	29	0	6	0	50
		38	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL RANDEVA	20021602301	309	311	8	0	10	0	[illegible]
		39	RAJKIYEKRIT RAHMANIYA +2 HIGH SCHOOL TARA	20021603502	1576	1054	8	2	8	0	197
		40	UPG RAJKIYEKRIT HIGH SCHOOL SONWARSA	20021604701	400	401	11	2	2	0	36

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–60

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित 6 +2 उच्च विद्यालय व 34 उच्च विद्यालयों के भवनों की बृहद मरम्मति तथा इन विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

उपरोक्त वर्णित विद्यालय में सीता +2 उच्च विद्यालय हरिहरगंज में 20 कमरों का निर्माण पूरा कराया जा चुका है। +2 बालिका उच्च विद्यालय हुसैनाबाद में 10 कमरें, +2 उच्च विद्यालय हैदरनगर में 17 कमरे तथा बालिका उच्च विद्यालय हरिहरगंज में 10 कमरों का निर्माण स्वीकृत है जो निर्माणाधीन है।

राज्य सरकार के पत्रांक 12/यो.2–09/2016.,22/SO)-1148 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आलोक में उपरोक्त वर्णित विद्यालयों में से निम्नलिखित विद्यालयो में राज्य योजनान्तर्गत बृहद मरम्मति का कार्य कराया जा रहा है:–

क्रमांक	विद्यालय का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० लाख में)
1	राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय हैदरनगर	9.17
2	राजकीयकृत +2 सीता उच्च विद्यालय हरिहरगंज	8.46
3	राजकीयकृत बख्शी उच्च विद्यालय हुसैनाबाद	12.32
4	राजकीयकृत कन्या उच्च विद्यालय हरिहरगंज	7.77
5	राजकीयकृत रहमनिया +2 उच्च विद्यालय तारा	4.99
6	उत्क्रमित राजकीयकृत उच्च विद्यालय पीपरा	7.81

अन्य सभी विद्यालयो मे नामांकन के आधार पर लघु मरम्मती हेतु विद्यालय विकास अनुदान के रूप में रु० 25,000/– से रु० 100000/– की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

अन्य विद्यालयों में आगामी वर्षों मे राशि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर नये वर्गकक्ष का निर्माण/ मरम्मती का कार्य कराया जायेगा ।

21/3/22

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.02–242/2022 744 राँची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/22

सरकार के अवर सचिव।

(618)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

552
21.08.22

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शि0–33

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	**क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–**	**श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में काफी अधिक संख्या में बंगला तथा उड़िया भाषा के लोग निवास करते हैं;	इससे संबंधित आँकड़ा सांख्यिकी विभाग द्वारा संधारित किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत् स्कूली छात्र–छात्राओं को मुफ्त में पुस्तक उपलब्ध कराने का प्रावधान है, परन्तु वर्षों से बंगला भाषा तथा उड़िया भाषा की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है;	आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक। यह बात सही है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत् स्कूली छात्र/ छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने का प्रावधान है। किन्तु, यह बात सही नहीं है कि वर्षों से बंगला भाषा तथा उड़िया भाषा की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के बच्चों को जे.सी.ई.आर.टी., रांची द्वारा विकसित बंगला एवं उड़िया भाषा की पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है। इसके पूर्व पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा से क्रमश बंगला एवं उड़िया की पुस्तकें मंगाकर बच्चों को उपलब्ध करायी जाती थी।
3	क्या यह बात सही है कि लम्बे अरसे से खण्ड–2 में वर्णित भाषाओं की पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण बंगला तथा उड़िया भाषा के विद्यार्थी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के बच्चों को जे.सी.ई.आर.टी., रांची द्वारा विकसित बंगला एवं उड़िया भाषा की पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्य पुस्तकों के साथ बंगला तथा उड़िया माध्यम की पुस्तकें भी विद्यालयों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के बच्चों को जे.सी.ई.आर.टी., रांची द्वारा विकसित बंगला एवं उड़िया भाषा की पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2022–23 में कक्षा 1 एवं 2 के लिए बंगला एवं उड़िया भाषा की पुस्तकों की छपाई का कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–14/व02–25/2022 –552 राँची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–578, दिनांक 25.02.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/22
सरकार के अवर सचिव

619

679
14/03/2022

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–45

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज का राजमहल विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड क्रमशः साहेबगंज सदर, राजमहल एवं उधवा भौगोलिक दृष्टिकोण से गंगा तट व मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड साहेबगंज सदर प्रखण्ड के मध्य विद्यालय किसन प्रसाद और मध्य विद्यालय, हाजीपुर दियारा स्थित विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नहीं होने से यहां के छात्र–छात्राओं को कठिनाईयां हो रही है, जहाँ से निकटतम उच्च विद्यालय की दूरी 6 से 7 कि०मी० है;	अस्वीकारात्मक। साहेबगंज सदर प्रखण्ड के मध्य विद्यालय किसन प्रसाद (छात्र सं0–265) से करीब 5 कि०मी० पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय लालबथानी संचालित है एवं मध्य विद्यालय, हाजीपुर दियारा (छात्र सं0–273) से करीब 5 कि०मी० पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय किहारी संचालित है। विभागीय अधिसूचना सं. 2748 दिनांक 18.11.2008 द्वारा प्रत्येक 5 कि०मी० की परिधि तथा 5000 की आबादी पर माध्यमिक/उच्च विद्यालय के उत्क्रमण का मानक निर्धारित है।
3.	क्या यह बात सही है कि राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत रा0म0 विद्यालय, इनायतपुर/मध्य विद्यालय, पीपरजोरिया तथा उधवा प्रखण्ड के मध्य विद्यालय जोका क्षेत्रहित में माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालय आतापुर का +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जाना अत्यावश्यक है;	अस्वीकारात्मक। रा0म0 विद्यालय, इनायतपुर (छात्र सं0–245) से लगभग 3 कि०मी० पर संत जॉन पर्कमन्स उच्च विद्यालय मुडली तीनपहाड़ संचालित है। मध्य विद्यालय पीपरजोरिया (छात्र सं0–200) से करीब 5 कि०मी० पर उच्च विद्यालय तीनपहाड़ एवं उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय, मंगलहाट संचालित है। जबकि उच्च विद्यालय, आतापुर से लगभग 3 कि०मी० की दूरी पर +2 हरिशंकर सिंह उच्च विद्यालय शर्मापुर अवस्थित है। विभागीय अधिसूचना सं. 2748 दिनांक 18.11.2008 एवं पत्रांक 1471 दिनांक 15.09.2020 द्वारा प्रत्येक 7–8 कि०मी० की परिधि में तथा 10000 की आबादी पर +2 उच्च विद्यालय के उत्क्रमण का मानक निर्धारित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 और 3 में वर्णित मध्य व उच्च विद्यालय को भौगोलिक दृष्टिकोण से ध्यानमें रखते हुए क्षेत्रहित में उत्क्रमित कर पठन–पाठन व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका–2 एवं 03 में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.02–232/2022 679 राँची, दिनांक 14/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(630)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 शि-59		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-		
क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी का पद लंबे अवधि से रिक्त है, जिस अतिरिक्त प्रभार से चलाया जा रहा है फलतः विभागीय कार्य प्रभावित हो रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित नियमित पदाधिकारी के सेवानिवृत्ति उपरांत विभागीय आदेश सं0-2743 दिनांक-31.12.2020 द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया। तदोपरांत क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं0-16 दिनांक-04.01.2022 द्वारा उक्त प्रभार जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह को प्रदान किया गया,जिनके द्वारा वर्त्तमान में विभागीय कार्यों का सुचारू रूप से निष्पादन किया जा रहा है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारीबाग जिला शिक्षा पदाधिकारी का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पद पर राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाता है। वर्त्तमान में राज्य शिक्षा सेवा के स्वीकृत 170 पदों के विरूद्ध वर्त्तमान में कुल-69 पदाधिकारी ही कार्यरत हैं, जिसमें से 35 पदाधिकारी नवनियुक्त हैं जो अभी परीक्ष्यमान अवधि में ही है। पदाधिकारियों की कमी के कारण उक्त पद का प्रभार अतिरिक्त रूप से प्रदान कर कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। नियमित पदस्थापन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। सम्प्रति राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 के 41 पदों पर नियुक्ति हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई है।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-01/वि02-02/2022/533 राँची, दिनांक-14-03-2022

प्रतिलिपि-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(621)

श्री बंधु तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–04

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत चितरपुर प्रखंड के ग्राम–लारीकला के हुनरमंद कारीगर अपनी अच्छी कारीगरी के लिए पूरे रामगढ़ जिले में अग्रणी स्थान रखते हैं, उक्त कारीगरों का मुख्य पेशा लोहागिरी अर्थात् लोहे का विभिन्न उत्पाद तैयार करना है।	स्वीकारात्मक। वर्णित गाँव में लगभग 35 लोहारगिरी पेशा के कारीगर है, जो मुख्यतः कृषि कार्य में उपयोग होने वाले औजार का निर्माण करते हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखंड की औद्योगिक नीति–2001, 2010 और 2016 के तहत सूक्ष्म, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए RIADA, BIADA, SPIADA, AIADA, JUIDCO और झारकाफ़ट की स्थापना की गयी है:	अस्वीकारात्मक। औद्योगिक नीति के तहत RIADA, BIADA, SPIADA, AIADA, JIIDCO और झारकाफ़ट का गठन नहीं किया गया है। RIADA, BIADA, SPIADA, AIADA का गठन बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम–1974 के तहत किया गया है जिसे झारखण्ड राज्य द्वारा वर्ष 2001 में झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम–2001 के रूप में अंगिकृत किया गया। JIIDCO एवं झारकाफ़ट कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है।
3.	क्या यह बात सही है कि औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति MSME एक्ट, 2006 एवं अन्य नीतियों के माध्यम से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में रोजगार का सृजन का लक्ष्य है।	स्वीकारात्मक। राज्य में पूँजीनिवेश एवं रोजगार के सृजन प्रावधानित नीतियों का मुख्य उद्देश्य होता है, जिसके माध्यम से औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार का अवर प्राप्त होता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लारीकला के हुनरमंद कारीगरों को फॉर्ज–टेक्नोलॉजी विशेष प्रशिक्षण वर्कशेड निर्माण तथा आवश्यक मशीनें उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब नहीं, तो क्यों?	वस्तुतः वर्णित ग्राम–लारीकला के लोहारगीरी पेशे के कारीगरों को SFURTI (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries) योजनान्तर्गत लाभांवित करने हेतु विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है, किन्तु इस लाभुक समूह द्वारा SFURTI योजना के प्रावधान के अनुसार लाभुक अंशदान की राशि 10 प्रतिशत नहीं प्रदान करने के कारण योजना स्वीकृति हेतु कार्रवाई नहीं की जा सकी । उक्त लाभुक समूह द्वारा योजना के प्रावधान के अनुसार 10 प्रतिशत लाभुक अंशदान देने पर सहमति देने के स्थिति में इन कारीगरों को SFURTI योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–12/2022 344 /राँची, दिनांक– 20/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–219 दिनांक–23.02.2022 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(622)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या शि०-58 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा जल विद्युत परियोजना, सिकिदिरी में वर्ष 1981 से विस्थापितों एवं प्रभावितों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु मध्य एवं उच्च विद्यालय संचालित की गई है;	मध्य विद्यालय सिकिदिरी वर्ष 1971 से आरम्भ हुआ जिसे एकीकृत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को कार्यालय आदेश सं०-IXA/स्कूल-27/88-5068, दिनांक-19.08.1988 द्वारा हाई स्कूल से उत्क्रमित करते हुए आठवें वर्ग को उसी वर्ष से खोलने की अनुमति के साथ आगामी वर्ष 1984, 1987 एवं 1991 में हेड मास्टर, सहायक शिक्षकों का पद स्वीकृत किया गया। विद्यालय विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चे-बच्चियों, आश्रितों एवं विस्थापित तथा स्थानीय ग्रामीणों के बच्चों के लिए खोला गया, जहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। परियोजना के मध्यम एवं उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक स्वेच्छा से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिसकी नियुक्ति स्थानीय समिति द्वारा की गई है। पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड सम्प्रति झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि० के कार्यालय आदेश सं०-04, दिनांक-02.01.2007 द्वारा मध्य एवं उच्च विद्यालय में शिक्षक का पद विलोपित कर दिया गया है।
2 क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में वर्ष 2014 से आज तक किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है।	परियोजना के मध्यम एवं उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक स्वेच्छा से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिसकी नियुक्ति स्थानीय समिति द्वारा की गई है। पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड सम्प्रति झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि० के कार्यालय आदेश सं०-04, दिनांक-02.01.2007 द्वारा मध्य एवं उच्च विद्यालय में शिक्षक का पद विलोपित कर दिया गया है। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, सिकिदिरी में एकमुश्त मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों के द्वारा सेवा नियमित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में एक समादेश याचिका वर्ष 2016 में दायर किया गया था। इस दरम्यान इनके मानदेय वृद्धि के अनुरोध पर निगम द्वारा उक्त याचिका के फलाफल आने के पश्चात् विचार करने का निर्णय लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा उक्त याचिका में दिनांक-01.08.2018 को आदेश पारित करते हुए खारिज (Dismissed) कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची का आदेश निम्नवत है:- "Be that as it may having gone through the rival submission of the parties, this Court finds substance in the argument of the learned Counsel for the respondents that the petitioners have tried to mislead this Hon'ble Court by making wrong interpretation of the above referred judgements. The petitioners are working on the fixed honorarium/Mandey and not as permanent employees of the respondents and

	they were not engaged following the due process of law. As there is no sanctioned post of teachers, question of vacant post of Assistant Teachers does not arise. Both the above referred judgements is not applicable so far as these petitioners are concerned as they do not fulfil the requisite criteria for appointment and even no sanctioned post are available. Hence this writ petition merits dismissal and is hereby dismissed." संबंधित शिक्षकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायाल, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित उक्त आदेश विरूद्ध LPA No. 713 of 2018 दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:- "This Court, after taking into consideration the facts in entirety and considering the reason assigned by the learned Single judge in the impugned order, is of the view that no interference is required as there is no error in the impugned order. According, the instant appeal fails and is dismissed."
3. क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को समकक्ष एवं निम्नवर्गीय कर्मी के अनुमान्य मानदेय से कम मानदेय का भुगतान हो रहा है, जिससे शिक्षकों को घोर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।	परियोजना के मध्यम एवं उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक स्वेच्छा से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिसकी नियुक्ति स्थानीय समिति द्वारा की गई है। पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड सम्प्रति झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि० के कार्यालय आदेश सं०-04, दिनांक-02.01.2007 द्वारा मध्य एवं उच्च विद्यालय में शिक्षक का पद विलोपित कर दिया गया है। संबंधित शिक्षकों का अंतिम मानदेय में वृद्धि फरवरी 2014 में रू. 8000/- से बढ़ाकर रू. 9000/- मात्र किया गया था, जो वे वर्त्तमान में प्राप्त कर रहे है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य/उच्च विद्यालय, सिकिदिरी में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	संबंधित शिक्षकों के द्वारा मानदेय में वृद्धि हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। जिस पर जाँच/समीक्षा के उपरान्त निर्णय वित्तीय स्थिति को देखते हुए झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि० के BOD/सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 337 / दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

623

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

554
21.03.22

डॉ0 सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या शि0–27

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा गिरिडीह, धनबाद, चाईबासा एवं लातेहार में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की कमी के कारण छात्राओं का पठन–पाठन बाधित हो गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि गिरिडीह जिला में कुल 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसका पूर्ण कालिक एवं अंश कालिक शिक्षकों का स्वीकृत एवं कार्यरत विवरणी निम्नवत है– शिक्षिका | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्ति की स्थिति पूर्णकालिक | 48 | 39 | 09 अंशकालिक | 60 | 60 | 00 राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 1537 दिनांक 06.09.2021 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध कुल प्राप्त 357 आवेदन के आलोक में वर्णित अर्हताधारी अभ्यर्थियों को जिला चयन समिति द्वारा 10 रिक्त पद पर 1 पद का चयन किया गया। शेष 9 पद हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण चयन नहीं किया जा सका।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिला के सभी कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक / शिक्षिका की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अवशेष रिक्त पदों के विरूद्ध पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर शिक्षिकाओं का चयन किया जायेगा।

अकु सिंह
21/3/22
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14 / व02–21 / 2022 - 554 राँची, दिनांक 21 / 03 / 2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–195, दिनांक 23.02.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/3/22

सरकार के अवर सचिव

(284)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–41 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के प्रखण्ड भण्डरिया के ग्राम – सरूअत पहाड़ जो गढ़वा जिला के अन्तर्गत आते है एक सौन्दर्य एवं रमणीक स्थान है जिसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसीत करने की अपार संभावनाए है,	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के प्रशासनिक स्तर पर भी इसे विकसित करने हेतु राज्य सरकार को सरूअत को पर्यटक स्थल के रूप मे घोषित करने हेतु अनुशंसा किया जा चुका है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक जिला पर्यटन संवर्धन समिति, गढ़वा के दिनांक 09.12.2021 को संपन्न बैठक में इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी से प्रस्ताव व फोटोग्राफ प्राप्त कर विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है, परंतु विभाग को प्रस्ताव अप्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भण्डरिया प्रखण्ड के ग्राम – सरूअंत को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्य पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 61 / 2022 479 / राँची, दिनांक 21-03-2022

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1345 / वि०स०, दिनांक–15 / 03 / 2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव

टिप्पणी

625

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

555
21.03.22

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा०स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–61

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखंड में लगभग 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश ने एन०आई०ओ०एस० द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण पुरी कर आयोजित परीक्षा में शामिल हुए लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के कारण उत्तीर्णता प्रमाण पत्र नहीं पा सके;	आंशिक स्वीकारात्मक। भारत सरकार के पत्र दिनांक 03.08.2017 के द्वारा निदेश निर्गत किया गया था कि शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की कंडिका 23(2) के आलोक में सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सरकारी निजी विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षको को 31 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप में प्रशिक्षित होना है। प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए यह अंतिम मौका दिया जा रहा है और जिन शिक्षकों के पास शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत न्यूनतम अनिवार्य योग्यता नहीं होगी उन्हें 01 अप्रैल, 2019 के बाद सेवा में नहीं रखा जाएगा और वैसे शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी। भारत सरकार के उक्त पत्र की कंडिका (XIV) में अंकित है कि वैसे शिक्षक जो डी.एल.एड. में नामांकन लेने हेतु न्यूनतम अर्हता, जो कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक हैं, धारण नही करते हैं, उन्हें NIOS में नामांकन लेकर पुनः कक्षा 12 की परीक्षा में सम्मिलित होकर न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी। यद्यपि वैसे शिक्षक औपबंधिक रूप से NIOS के डी.एल.एड. कार्यक्रम में नामांकन ले सकते हैं, किन्तु डी.एल.एड. प्रमाण पत्र के लिए पहले कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक लाना होगा। वैसे शिक्षक जिन्होंने कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किये है, उन्हें NIOS द्वारा डी.एल.एड. उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि एन०आई०ओ०एस० की शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के अभाव से संप्रति सहायक अध्यापक नियमावली में अन्य पारा शिक्षकों के समान उचित स्थान नहीं मिला है,	पारा शिक्षक सम्प्रति सहायक अध्यापक नियमावली में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की अलग–अलग श्रेणी निर्धारित की गयी है। प्रशिक्षित होने के उपरान्त ही उक्त श्रेणी का लाभ प्राप्त होगा।

626

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

553
21.03.22

श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–54

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है झारखंड राज्य के निजी मध्य विद्यालयों को स्थापना अनुमति लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 01 एकड़ भूमि तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 75 डीसमील भूमि का होना अनिवार्य है, जो निबंधित विक्रय–पत्र से हासिल किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में CNT एवं SPT Act लागू होने के कारण राज्य के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में खण्ड–1 में वर्णित वृहत क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध होने में कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कुछ क्षेत्रों से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भूमि उपलब्ध होने में कठिनाई की जानकारी प्राप्त हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में कम भूमि क्षेत्र रखनेवाले निजी मध्य विद्यालयों को स्थापना अनुमति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार के द्वारा झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (यथा संशोधित) 2019 में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

ह0/– 21/3/22
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14/व02–47/2022 – 553 / राँची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1096, दिनांक 08.03.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/– 21/3/22
सरकार के अवर सचिव

627

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–16 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि दिनांक–24 मई 1976 को बिहार सरकार की अधिसूचना सं0–955 के माध्यम से वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा विलुप्त प्राय वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी की घोषणा की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 186.25 वर्ग किलोमीटर (18625.50 हेक्टयर) था;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि दिनांक–01 अगस्त, 2019 को तत्कालीन राज्य सरकार की अनुशंसा पर केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (ECO SENSITIVE ZONE) का विस्तार करते हुए 573.86 वर्ग कि0मी0 (57387.54 हेक्टयर) कर दिया गया जिसके अन्तर्गत कुल 218 गाँव शामिल कर दिये गये हैं;	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2019 को अधिसूचना संख्या–का0आ0 2775 (अ) द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड–III में हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी का पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco-sensitive zone) अधिसूचित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 573.86 वर्ग कि0मी0 में है। ESZ के अन्तर्गत कुल–218 (72 अंतर्निहित एवं 146 पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र) गाँव अवस्थित है। ESZ संबंधी अधिसूचना में ESZ के क्षेत्रफल में कभी विस्तार नहीं किया गया है एवं यह प्रारंभ से ही 573.86 वर्ग कि0मी0 है।
3. क्या यह बात सही है कि ESZ घोषित होने के कारण उक्त क्षेत्र में किसी भी तरह के विकास से संबंधित निर्माण कार्य कल कारखाने खनन कार्य इत्यादि संचालित नही किये जा सकेंगे जिससे इन रोजगारों से जुड़े हुए हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं तथा उनके सामने पलायन की विकराल समस्या उत्पन्न हो गयी है;	Eco-Sensitive Zone (ESZ) से अच्छादित क्रियाकलापों को तीन श्रेणी यथा प्रतिषिद्ध, विनियमित एवं संवर्धित क्रियाकलपों (prohibited, regulated एवं promoted activities) में विभक्त किया गया है। ESZ में वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन एवं अपघर्षण इकाइयों (commercial mining, stone quarrying एवं crusher units) को प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप (prohibited activities) की श्रेणी में रखा गया है। Eco-Sensitive Zone (ESZ) में गैर प्रदूषणकारी उद्योगों/कल कारखानों की स्थापना पर कोई रूकावट नहीं है। इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योग, जैविक खेती, हरित प्रौद्योगिकी, कृषि वानिकी, इत्यादि क्रियाकलापों को संवर्धित क्रियाकलाप (promoted activities) की श्रेणी में रखा गया है एवं उन्हें सक्रिय रूप से बढ़ावा दिये जाने का प्रावधान है। संरक्षित क्षेत्रों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रहे ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा Eco-Development Committee के माध्यम से प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को खण्ड–1 में वर्णित अधिसूचना के आधार पर पूर्ववत क्षेत्रफल में सीमित रखने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से करके हजारों लोगों के सामने उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व वन्यप्राणी आश्रयणी के सीमा के चारों ओर 10 कि०मी० तक का क्षेत्र स्वतः Eco-Sensitive Zone (ESZ) के अंतर्गत आता है। तदोपरांत प्रक्रिया अनुरूप ESZ को चिन्हित कर हजारीबाग वन्यजीव आश्रयणी की सीमा के चारों ओर 900 मीटर से 05 कि०मी० तक का क्षेत्र ESZ के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का विचार नहीं है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि०स० तारांकित प्रश्न–22/2022–**879** व०प०, दिनांक–**21.03.2022**

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं०–792, दिनांक–01.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/03/22

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

628

729
21/03/2022

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–63

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के नावाबाजार प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुम्भी कला में ग्राम सोहदाग कला, बनखेता, महुगाई, तुलबुला आरापुर, हताई, तमदागा, बंदुआ, टांटी पत्थर, कोरठा, रजदिरिया, पीपरहवा कुल बारह गाँव पड़ता है, जिसकी आबादी 9 हजार है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। ग्राम पंचायत कुम्भी खुर्द में ग्राम सोहदाग कला, बनखेता महुगाई, तुलबुला, आरापुर, हताई, तमदागा, बंदुआ, टांटी पत्थर कोरटा, पीपराहवा कुल–11 गांव पड़ता है। रजदीरिया, सोहदा खुर्द पंचायत में पड़ता है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की बहुलता है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त ग्रामीणों के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्ति हेतु नावाबजार उच्च विद्यालय जाना पड़ता है, जो सात से दस कि०मी० दूर है;	अंशतः स्वीकारात्मक। क्र. / ग्राम का नाम / विद्यालय का नाम / विद्यालय की दूरी 1 / सोहदाग कला / स्तरोन्नत उ०वि०, कुम्भी खुर्द / 04 कि०मी० 2 / बनखेता / स्तरोन्नत उ०वि०, कुम्भी खुर्द / 3.05 कि०मी० 3 / महुगाई, तुलबुला, हताई, आरापुर, तमदागा / स्तरोन्नत उ०वि०, नावाबाजार / 06 कि०मी० स्तरोन्नत उ०वि०, मण्डार / 06 कि०मी० 4 / बंदुआ / स्तरोन्नत उ०वि०, नावाबाजार / 10 कि०मी० 5 / टांटी पाथर / स्तरोन्नत उ०वि०, नावाबाजार / 05 कि०मी० 6 / कोरंटा, पीपरहवा / स्तरोन्नत उ०वि०, कण्डा / 05 कि०मी०
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में दुगामाईन्स स्थान पर उच्च विद्यालय खोलना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 05 कि०मी० की परिधि तथा 5000 की आबादी पर एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है। तत्संबंधी अधिसूचना सं.–2748 दिनांक 18.11.2008 में निर्धारित शर्तों के आलोक में प्रखण्ड स्तर पर अवस्थित सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के आलोक में आवश्यकता का आकलन कर अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला को निदेशालयीय पत्रांक–251 दिनांक 05.02.2021 प्रेषित है। अनुशंसा सूची अद्यतन अप्राप्त है।

21-03-22

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.02–245/2022 729 राँची, दिनांक 21/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21-03-22

सरकार के अवर सचिव।

629

श्री समरी लाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–13

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राँची जिला अन्तर्गत बुड़मू प्रखण्ड अन्तर्गत चकमे ग्राम में लगुना क्लोथिंग एल0एल0पी0 के गारमेंट औद्योगिक इकाई का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास जी के द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 को किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि इस इकाई का निर्माण कार्य बंद है और इससे क्षेत्र के 5000 लोगों को रोजगार मुहैया कराने का सपना धरातल पर नहीं उतर सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इकाई द्वारा स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत कुल–2250 व्यक्तियों का रोजगार सृजन किया जायेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस इकाई के निर्माण में आनेवाले बाधाओं को दूर कर क्षेत्र के 5000 लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस इकाई को चालू करवाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वैश्विक महामारी कोविड–19 के फलस्वरूप इकाई द्वारा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। इकाई द्वारा सूचित किया गया है कि आवंटित स्थल पर निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जावेगा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–32/2022 345 /राँची, दिनांक:– 20/03/2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1253 दिनांक–12.03.2022 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(630)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.03.2022 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टी–14 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली, 2014 के नियम–5 के अन्तर्गत विश्वस्तरीय चौम्पियनशिप में स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ियों को समूह–ग (ग्रेड–पे रुपये 4200) के पदों के अधीन नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान में झारखण्ड खेल नीति–2020 के नियम/कंडिका–27 के अनुसार वर्ल्ड चौम्पियनशिप/ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ियों को समूह–ख (ग्रेड–पे रुपये 5400) के अन्तर्गत नियुक्ति का प्रावधान है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** झारखण्ड खेल नीति 2020 अद्यावधि गठित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त नियमावली के आलोक में बोकारो निवासी श्रीमती विंध्यासिनी कुमारी सिन्हा, स्वर्ण पदक प्राप्त विश्वविजेता (कबड्डी) की नियुक्ति दिनांक–13.07.2014 को झारखण्ड पुलिस राज्य बल में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर समूह–ग (ग्रेड–पे रुपये 4200) के अन्तर्गत की गई है, जिसपर श्रीमती सिन्हा द्वारा नियुक्ति काल से लेकर अब तक कई बार समूह–ख (ग्रेड–पे–5400) पर नियुक्ति करने हेतु अपनी लिखित आपत्तियाँ मंत्रालय सहित सक्षम प्राधिकारों के समक्ष प्रेषित की है;	2.	**स्वीकारात्मक**
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्रीमती विंध्यावासिनी कुमारी सिन्हा को समूह–ख (ग्रेड–पे रुपये 5400) के अन्तर्गत पदोन्नति /नियुक्ति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	3.	झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली 2014 के नियम 5(घ) के अनुसार श्रीमती विंध्यावासिनी कुमारी सिन्हा समूह–ग के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य है। जिसपर उन्हें गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नियुक्त किया गया है। श्रीमती विंध्यावासिनी कुमारी सिन्हा को पदोन्नति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/40/2022 465 /राँची, दिनांक 15.03.2022

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–239/वि०स०, दिनांक–23/02/2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/2022

सरकार के संयुक्त सचिव

विनोद

(631)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–14 का उत्तर :–

1018
21/03/22

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची के एच०ई०सी० क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का निर्माण एल०एंड०टी० कम्पनी द्वारा कराई जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्मार्ट सिटी एच०ई०सी० क्षेत्र में विकसित की जा रही है। राँची स्मार्ट सिटी का सिर्फ आधारभूत संरचना के विकास का निर्माण कार्य एल०एंड०टी० के द्वारा किया जा रहा है। आधारभूत संरचना के अंतर्गत सड़क बिजली, पेयजल, सीवरेज, भूमि विकास, स्ट्रीट लाईट इत्यादि का कार्य एल०एंड०टी० के द्वारा किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य हेतु सरकार और उक्त कम्पनी के बीच हुए MOU में वर्षों पुरानी पेड़ों को काटने के बदले उक्त पेड़ों को री–प्लांट करने का प्रावधान होने के बावजूद उक्त कम्पनी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों की लापरवाही में लगभग सौ वर्ष पुरानी अबतक 05 सौ पेड़ों को काट दिया गया और लगभग और 06 सौ पेड़ों को काटने की योजना है जबकि संबंधित कम्पनी के पास उक्त पेड़ों को री–प्लांट करने की मशीन हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राँची स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत आधारभूत संरचना के विकास हेतु उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले कुल 949 पेड़ों का पातन एवं 157 पेड़ों को री–प्लांट करने का आदेश वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल, राँची के पत्रांक–379 दिनांक–28.01.2020 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त आदेशानुसार एल०एंड०टी कम्पनी के द्वारा Forest Range Officer, Bero के पर्यवेक्षण में 949 पेड़ों का पातन कर उनके द्वारा निर्धारित Forest Depot में भेजा जा चुका है। 157 पेड़ों को री–प्लांट करने के आदेश के विरूद्ध एल० एण्ड टी कम्पनी के द्वारा कुल 117 पेड़ो का री–प्लांट किया जा चुका है एवं इसकी सूचना Forest Range Officer, Bero को दी जा चुकी है।
3.	क्या यह बात सही है कि वन अधिनियम अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर किसी कार्य हित में जितनी पेड़ों की कटाई की जाती है, तो उसे दस गुणा पेड़ों को संबंधित कम्पनी को लगाने का प्रावधान निर्धारित है परन्तु राज्य में सड़कों के निर्माण में पेड़ों की कटाई हुई है उसकी अपेक्षा में संबंधित सड़क निर्माण कम्पनी द्वारा पेड़ नहीं लगाई गई है जिससे हजारीबाग–बरही मुख्य पथ सहित राज्य के कई जिलों में पर्यावरण व प्रदूषण संकट उत्पन्न हो गई है।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची वन भवन, डोरण्डा, राँची के पत्रांक–632 दिनांक–11.03.2022 में प्रतिवेदित किया गया है कि वृक्ष पातन हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा राँची स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुल 961 वृक्षों के पातन एवं कुल 162 वृक्षों का आवश्यक संयत्रों (Hi-Tech) मशीन के द्वारा ट्रांसप्लांट कराने पर सहमति प्रदान की गई है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (एफ०सी०एक्ट) के तहत जिस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की जाती है, उसके तहत जितनी वनभूमि का अपयोजन हो रहा है, उसके दो गुणे वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को जमा किया जाता है। अगर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध करायी जाती है तो अपयोजित होने वाले वनभूमि के विरूद्ध उतनी ही गैर–वनभूमि पर

		क्षतिपूरक वनरोपण हेतु राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को जमा किया जाता है। जो प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृत नहीं होता है, अर्थात गैर वनभूमि पर कार्य करने हेतु पातित किये जाने वाले वृक्षों की 10 गुणा संख्या में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में पर्यावरण संतुलन के दृष्टिकोण से खण्ड–2 में वर्णित MOU अंतर्गत पेड़ों को रिप्लान्ट करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/न०वि०/तारांकित–12/2022 –1018– रॉंची, दिनांक–21/03/22

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची को ज्ञाप सं०प्र०–738 दिनांक–28.02.2022 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री जलज कुमार, उप परामर्शी, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रॉंची को उनके पत्रांक–808 दिनांक–14.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/2022

सरकार के अवर सचिव।